[illegible] उभयपक्ष उपस्थित [illegible]

16.3.21 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष [illegible] की बहस [illegible] नहीं। [illegible] सुनी गई। पत्रावली [illegible] दिनांक 30.3.21 [illegible] पत्रावली आदेश हेतु [illegible] को पेश हो।

30.3.21 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, समय अभाव के कारण आदेश नहीं लिखा जा सका। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 15.4.21 को पेश हो।

15.4.21 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थिया ने अपनी बहस के दौरान बताया कि प्रार्थिया एवं विपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी हक की संयुक्त आधिपत्य की आराजियात है, जिसका विभाजन बिना किसी भी सहकाश्तकार की अन्य सह काश्तकार की सहमति के बिना अंतरण करने का अधिकार नहीं है, आराजियात प्रार्थिया की हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब की पैतृक संपदा है, अतः मूल वाद पत्र के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किये जाने का निवेदन किया। जब कि विपक्षी अधिवक्ता ने अपने जवाब के आधार पर बताया कि प्रार्थिया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र केवल धारा 188 एंव स्थाई निषेधाज्ञा का ही प्रस्तुत किया है [illegible] ही विभाजन की दाद ही चाही [illegible] विपक्षीया के विरुद्ध किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की मुस्तहक नहीं है, क्यों कि जवाबदार विपक्षी या रेकॉर्डेड होकर सहखातेदार है जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:[illegible]8:24
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
जारी नहीं की विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा कानूनन जासकती है वादग्रस्त आराजियात में विपक्षीया अपने हक हिस्से को विक्रय करने हेतु स्वतन्त्र है उसे किसी भी प्रकार से स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अत: अस्थाई निषेधाज्ञा को खारीज फरमाया जावे।	
मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष कारान् की बहस पर मनन किया. जवाबदावा का अध्ययन किया, प्रार्थिया एंव विपक्षीया सह खातेदार है विपक्षीगण को बिना विभाजन कराये अंतरण न करने को अस्थाई व्यादेश से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है ऐसी स्थिति मे प्रार्थिया को कोई अपूरणीय क्षति भी नहीं हो रही है। अत: प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारीज करने योग्य समझती हूँ।	
अत: आदेश दिया जाता है कि प्रार्थिया अपने प्रार्थना पत्र को साबित कराने मे असफल रहने के कारण पूर्व मे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 22-11-2013 को निरस्त की जाकर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. को खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ संलग्न हो।	
उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:58:24 IST
Reason: SelfAttested